# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

## सूचना

भोपाल, दिनांक:- 21/09/2023

क्रमांक 4410 /टीसी/44/श्योपुर/उपां/नग्रानि/2023 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतंद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट **श्योपुर** विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

**अनुसूची**

| क्रं | ग्राम/ तहसील एवं जिला | खसरा क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) | | विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग | उपान्तरण पश्चात प्रस्तावित भू-उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | रकबा | उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा | | |
| 1. | ग्राम कस्बा श्योपुर तहसील एवं जिला श्योपुर | 249/2 | 0.094 | 0.074 | आवासीय एवं मार्ग | मिश्रित एवं मार्ग |
| 2. | | 252/2 | 1.171 | 0.018 | आवासीय | |
| | **कुल रकबा** | | **1.265** | **0.092** | | |

**नोट:-**

1. **प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख वर्तमान श्योपुर-पाली मार्ग की चौड़ाई श्योपुर विकास योजना, 2021 में 40.00 मीटर प्रस्तावित है। अत: मार्ग विस्तार हेतु मार्ग मध्य से दोनों ओर 20.00 मीटर - 20.00 मीटर भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।**
2. **पूर्व में प्रश्नाधीन भूमि से लगी भूमि हेतु श्योपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 07/04/2023 से प्रभावशील है। उक्त भूमि से प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 252/2 हेतु आवश्यकतानुसार मार्ग उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।**

**शर्त :-**

1 **उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियॉ मान्य होगी।**

2. **उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 एवं श्योपुर विकास योजना, 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगें।**

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय श्योपुर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय श्योपुर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

**(मुकेश चन्द गुप्ता)**
**वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक**
**नगर तथा ग्राम निवेश**
**म.प्र. भोपाल**

D:\laxmikant\New 23 k 1 kha.docx